रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 1970/श्रावण 8, 1892

No. 137] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 1970/SRAVANA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 30th July 1970

G.S.R. 1118.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Coir Fibre, falling under Item No. 27(1) of the Second Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when exported from India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the second mentioned Act.

[No. 72/F. No 6/61/68-Cus.I.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1970

सा०का०नि० 1118.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की द्वितीय अनुसूची में की मद सं० 27(i) के अन्तर्गत आने वाले कयर तन्तु को जब उसका भारत से निर्यात किया जाए, तब, द्वितीय वर्णित अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 72/फ०सं० 6/61/68—सीमा शुल्क—I]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970